

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 68/2019

अनवान :

1. चन्द्रसिंह पुत्र पूरण जाति कुम्हार उम्र 70 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भगवानी पत्नि स्व० फुला राम जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामकुमार पुत्र स्व० फुला राम जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पत्नि स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार उम्र 40 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
5. अमित पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नि स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
6. राजकुमार पुत्र स्व० नेकीराम जाति कुम्हार उम्र 48 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. भतेरी पत्नि स्व० बलवीर जाति कुम्हार उम्र 39 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. सुनीता पुत्री स्व० बलवीर पत्नि रोहताश जाति कुम्हार उम्र 22 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल मुगलपुरा तहसील बरवाला, जिला हिसार (हरियाणा)
9. पूजा पुत्री स्व० बलवीर आयु 17 वर्ष निवासी सुरतपुरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भतेरी पत्नि स्व० बलवीर जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. सुनील कुमार पुत्र स्व० बलवीर उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भतेरी पत्नि बलवीर जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. लैड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र दलु जाति कुम्हार उम्र 80 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सावित्री पत्नि स्व० मामचन्द जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रवण कुमार } पिसरान स्व० मामचन्द जाति कुम्हार निवासीगण
4. ईश्वर } सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रोहताश }
6. मेसर पुत्री पूरण पत्नि साधुराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल सिकारपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
7. बिमला पुत्री पूरण पत्नि पवन जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल सिकारपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

8. सावित्री पुत्री स्व० फुला राम पत्नि लीलूराम जाति कुम्हार उम्र 46 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल मुगलपुरा तहसील बरवाला, जिला हिसार (हरियाणा)
9. किरण आयु 24 वर्ष } पुत्रीयान स्व० महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार
10. रेखा रानी आयु 22 वर्ष } निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा
11. प्रीती आयु 19 वर्ष } हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं० 4 ता 11 श्री संदीप बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव सुरतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं० 192/188 के मु० नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है० और मु० नं० 186 के किला नं० 5 की 0.253 है० कुल 3.036 है० बरानी में से प्रतिवादी सं० 1 भादरराम के नाम 100 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 के नाम 87-1/2 हिस्सा, प्रतिवादीया सं० 2 के नाम 12-1/2 हिस्सा और वादीगण सं० 1 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 6 ता 11 के पूर्वज पूरण के नाम 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में मुताबिक राजीनामा के मु० नं० 169 के दिनांक 6, 7, 14, 16, 17 व 24 की 6 बीघा यानि 120 हिस्सा में वादी सं० 1 चन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा यानि 40 हिस्सा, वादीया सं० 2 भगवानी का 1/12 हि० यानि 10 हिस्सा, वादी सं० 3 रामकुमार को प्रतिवादीया सं० 8 द्वारा तर्क 1/24 हि० प्राप्त होने पर कुल 1/8 हि० यानि 15 हि०, वादीया सं० 4 सुमन का 1/60 हि० यानि 2 हि०, वादी सं० 5 अमित को प्रतिवादीया सं० 8 द्वारा तर्क 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीया सं० 9 ता 11 द्वारा तर्क 1/20 हिस्सा प्राप्त होने पर कुल 13/120 हिस्सा यानि 13 हिस्सा, वादी सं० 6 राजकुमार का 1/6 हिस्सा यानि 20 हिस्सा और वादीगण सं० 7 ता 10 का 1/6 हिस्सा यानि 20 हिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे और वाद भूमि दलु के हक हिस्सा की मु० नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 व मु० नं० 169 के किला नं० 15, 25 और मु० नं० 186 के किला नं० 5 कुल 6 बीघा यानि 120 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 भादरराम की 100 हिस्सा के स्थान पर 60 हिस्सा और प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 की 87-1/2 हिस्सा के स्थान पर 52-1/2 हिस्सा और प्रतिवादीया सं० 2 की 12-1/2 हिस्सा के स्थान पर 7-1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

चूंकि : वादीगण के पूर्वज पूरण के वारिसान प्रतिवादीया सं० 6 व 7 ने उक्त भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 1 और भाई फुलाराम और नेकीराम के वारिसान के हक में तर्क कर दी है और इसी प्रकार प्रतिवादीया सं० 8 सावित्री ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 3 रामकुमार और भतीजे वादी सं० 5 अमित के हक में तर्क कर दी है और प्रतिवादीया सं० 9 ता 11 क्रमशः किरण, रेखा रानी, प्रीती ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 5 अमित के हक में तर्क कर दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 68/2019

अनवान :

1. चन्द्रसिंह पुत्र पूरण जाति कुम्हार उम्र 70 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भगवानी पत्नि स्व० फुला राम जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामकुमार पुत्र स्व० फुला राम जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पत्नि स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार उम्र 40 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
5. अमित पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नि स्व० महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
6. राजकुमार पुत्र स्व० नेकीराम जाति कुम्हार उम्र 48 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. भतेरी पत्नि स्व० बलवीर जाति कुम्हार उम्र 39 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. सुनीता पुत्री स्व० बलवीर पत्नि रोहताश जाति कुम्हार उम्र 22 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल मुगलपुरा तहसील बरवाला, जिला हिसार (हरियाणा)
9. पूजा पुत्री स्व० बलवीर आयु 17 वर्ष निवासी सुरतपुरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भतेरी पत्नि स्व० बलवीर जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. सुनील कुमार पुत्र स्व० बलवीर उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भतेरी पत्नि बलवीर जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. लैड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र दलु जाति कुम्हार उम्र 80 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सावित्री पत्नि स्व० मामचन्द जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रवण कुमार } पिसरान स्व० मामचन्द जाति कुम्हार निवासीगण
4. ईश्वर } सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रोहताश }
6. मेसर पुत्री पूरण पत्नि साधुराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल सिकारपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

7. बिमला पुत्री पूरण पत्नि पवन जाति कुम्हार उम्र 55 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल सिकारपुर तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
8. सावित्री पुत्री स्व० फुला राम पत्नि लीलूराम जाति कुम्हार उम्र 46 वर्ष निवासी सुरतपुरा हाल मुगलपुरा तहसील बरवाला, जिला हिसार (हरियाणा)
9. किरण आयु 24 वर्ष } पुत्रीयान स्व० महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार
10. रेखा रानी आयु 22 वर्ष } निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा
11. प्रीती आयु 19 वर्ष } हाल गली नं० 1 ढाणी श्यामलाल हिसार।
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादीगण

वकील श्री संदीप बैनीवाल : प्रति० सं० 1 ता 11

निर्णय

दिनांक : 19.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव सुरतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं० 192/188 के मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है० और मु०नं० 186 के किला नं० 5 की 0.253 है० कुल 3.036 है० बाराणी में से प्रतिवादी सं० 1 भादरराम के नाम 100 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 के नाम 87-1/2 हिस्सा, प्रतिवादीया सं० 2 के नाम 12-1/2 हिस्सा और वादीगण सं० 1 ता 10 एवं प्रतिवादीगण सं० 6 ता 11 के पूर्वज पूरण के नाम 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

उक्त वाद भूमि में से मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14, 16, 17 व 24 कुल 6 बीघा (1.518 है०) भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 6 ता 11 के पूर्वज पूरण के हिस्सा व बंटवारा की भूमि है और मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 मु०नं० 169 के किला नं० 15, 25 और मु०नं० 186 के किला नं० 5 की कुल 6 बीघा (1.518 है०) भूमि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 के पूर्वज दलु के हिस्सा व बंटवारा की भूमि है जिसका रिकार्ड गलत होने के कारण उनका राजीनामा दिनांक 09.08.1978 को न्यायालय सहायक जिलाधीश नोहर से राजस्व वाद सं० 740/76 बअनुवानी पूरण उर्फ पूरणिया बनाम दलिया उर्फ दलु निस्तारित होकर डिक्री दिनांक 09.08.1979 को इस प्रकार से हुई थी कि " चक सुरतपुरा बाराणी के मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14, 16, 17 व 24 की कुल 6 बीघा वादी पूर्ण पुत्र उदा कुम्हार व मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 व मु०नं० 169 के किला नं० 15 व 25 व मु०नं० 186 के किला नं० 5 कुल 6 बीघा प्रतिवादी दलीया उर्फ दलु पुत्र उमा की खातेदारी होना घोषित किया जाता है" परन्तु पक्षकारान के उक्त पूर्वजों की मृत्यु होने के कारण उक्त डिक्री की पालना नहीं हो सकी जिससे वादीगण के हितों पर विपरित भाव पड़ता है, इसलिए वादीगण उक्त राजीनामा अनुसार अपने हक व हिस्सा की भूमि की घोषणा उक्तानुसार करा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14, 16, 17 व 24 की कुल 6 बीघा यानि 120 हिस्सा भूमि जो पूरण के हक हिस्सा व बंटवारा की है जिसमें उसके वारिसान वादीगण सं० 1 का 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 2, 3 और प्रतिवादीया सं० 8 के पति/पिता और वादीगण सं० 4, 5 और प्रतिवादीया सं० 9 ता 11 के ससुर/दादा फुला राम का 1/5 हिस्सा, वादी सं० 6 के पिता और वादीगण सं० 7

ता 11 के ससुर/दादा नेकीराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीया सं० 6 और 7 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, कानूनन बनता है जो प्रतिवादीया सं० 6 व 7 ने अपने उक्त हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 1 और भाई फुला राम और नेकीराम के वारिसान के हक में तर्क कर दी है और इसी प्रकार प्रतिवादीया सं० 8 सावित्री ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 3 रामकुमार और भतीजे वादी सं० 5 अमित के हक में तर्क कर दी है और प्रतिवादीया सं० 9 ता 11 क्रमशः किरण, रेखा रानी और प्रीती ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० 5 अमित के हक में तर्क कर दी है।

इस प्रकार पूरण के हक हिस्सा की भूमि मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14, 16, 17, व 24 की 6 बीघा यानि 120 हिस्सा में वादी सं० 1 चन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा यानि 40 हिस्सा, वादीया सं० 2 भगवानी का 1/12 हिस्सा यानि 10 हिस्सा, वादी सं० 3 रामकुमार को प्रतिवादीया सं० 8 द्वारा तर्क 1/24 हिस्सा प्राप्त होने पर कुल 1/8 हिस्सा यानि 15 हिस्सा वादीया सं० 4 सुमन का 1/60 हिस्सा यानि 2 हिस्सा, वादी सं० 5 अमित को प्रतिवादीया सं० 8 द्वारा तर्क 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीया सं० 9 ता 11 द्वारा तर्क 1/20 हिस्सा प्राप्त होने पर कुल 13/120 हिस्सा यानि 13 हिस्सा, वादी सं० 6 राजकुमार का 1/6 हिस्सा यानि 20 हिस्सा और वादीगण सं० 7 ता 10 का 1/6 हिस्सा यानि 20 हिस्सा अनुसार घोषणा करा पाने के अधिकारी है और वाद भूमि दलु के हक हिस्सा की मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 व मु०नं० 169 के किला नं० 15, 25 और मु०नं० 186 के किला नं० 5 कुल 6 बीघा यानि 120 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 भादराम की 100 हिस्सा के स्थान पर 60 हिस्सा और प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 की 87-1/2 हिस्सा के स्थान पर 52-1/2 हिस्सा और प्रतिवादीया सं० 2 की 12-1/2 हिस्सा के स्थान पर 7-1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी है जिसके लिए प्रतिवादीगण उत्तरदायी है।

मौजूदा जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज पूरण के पिता का नाम उमा दर्ज है जबकि पूरण के पिता का सही नाम उदा है जो जमाबन्दी सम्वत् 2030-2033 के खाता सं० 22 से साफ रोशन है जो उक्त गलती सहबन व लिपिकीय भूलवंश जमाबन्दी सम्वत् 2034 में हुई है जो खाता सं० 24 से साफ रोशन है। वादीगण उक्त गलती को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि का खाता मुश्तर्का होने से पक्षकारान में आये दिन सीव डोल आदि को लेकर तनाजा रहता है जबकि उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरण व दलु के जीवनकाल में हो गया था जो पूरण पुत्र उदा को मु०नं० 169 किला नं० 6, 7, 14, 16, 17 व 24 की 6 बीघा और दलु पुत्र उमा को मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 व मु०नं० 169 के किला नं० 15 व 25 व मु०नं० 186 के किला नं० 5 की कुल 6 बीघा भूमि बंटवारा में मिली और उनकी मृत्यु उपरान्त पूरण के बंटवारा की भूमि वादीगण और दलु के बंटवारा की भूमि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 अर्जीदावा की मद सं० 6 में दर्ज अनुसार काश्त करते चले आ रहे है, इसलिए वादीगण अर्जीदावा की मद सं० 6 में दर्ज अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है जिसके लिए प्रतिवादीगण उत्तरदायी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 11 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 12 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी चन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम सुरतपुरा के खाता सं० 192/188 सम्वत् 2071 से

74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम सुरतपुरा बारानी सम्बत् 2030 से 33 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम सुरतपुरा बारानी सम्बत् 2034 प्रदर्श 3, फोटो कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि राजीनामा दिनांक 09.08.78 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित फर्द अहकाम/निर्णय प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित पर्चा डिक्री दिनांक 09.08.79 प्रदर्श 6, नक्शा नजरिया प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पूरणराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र किस्तुरी, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फूलाराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नेकीराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बिमला, चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्र सिंह, चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बलबीर पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि में से मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14, 16, 17 व 24 कुल 6 बीघा (1.518 है०) भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 6 ता 11 के पूर्वज पूरण के हिस्सा व बंटवारा की भूमि है और मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 मु०नं० 169 के किला नं० 15, 25 और मु०नं० 186 के किला नं० 5 की कुल 6 बीघा (1.518 है०) भूमि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 के पूर्वज दलु के हिस्सा व बंटवारा की भूमि है जिसका रिकार्ड गलत होने के कारण उनका राजीनामा दिनांक 09.08.1978 को न्यायालय सहायक जिलाधीश नोहर से राजस्व वाद सं० 740/76 बअनुवानी पूरण उर्फ पूरणिया बनाम दलिया उर्फ दलु निस्तारित होकर दिनांक 09.08.1979 डिक्री किया गया था। परन्तु पक्षकारान के उक्त पूर्वजों की मृत्यु होने के कारण उक्त डिक्री की पालना नहीं हो सकी जिससे वादीगण के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम सुरतपुरा के खाता सं० 192/188 में पूर्व में हुए राजीनामा व न्यायालय डिक्री के अनुसार रिकार्ड दुरुस्त कर घोषणा करवाने एवं उसी अनुसार खाता विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम सुरतपुरा के खाता सं० 192/188 सम्बत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम सुरतपुरा बारानी सम्बत् 2030 से 33 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम सुरतपुरा बारानी सम्बत् 2034 प्रदर्श 3, फोटो कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि राजीनामा दिनांक 09.08.78 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित फर्द अहकाम/निर्णय प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित पर्चा डिक्री दिनांक 09.08.1979 प्रदर्श 6, नक्शा नजरिया प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पूरणराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र किस्तुरी, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फूलाराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नेकीराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बिमला, चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्र सिंह, चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है जिससे वाद वादीगण साबित है व वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 11 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है इस प्रकार वादीगण के दावा कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव सुरतपुरा की जमाबन्दी सम्बत् 2071-2074 के खाता सं० 192/188 के मु०नं० 168 के किला नं० 9, 10, 11 के प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु०नं० 169 के किला नं० 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है० और मु०नं० 186 के किला नं० 5 की 0.253 है० कुल 3.036 है० बारानी में से प्रतिवादी सं० 1 भादरराम के नाम 100 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 के नाम 87-1/2 हिस्सा,



प्रतिवादीया सं० २ के नाम १२-१/२ हिस्सा और वादीगण सं० १ ता १० एवं प्रतिवादीगण सं० ६ ता ११ के पूर्वज पूरण के नाम ४० हिस्सा खातेदारी दर्ज है में मुताबिक राजीनामा के मु०नं० १६९ के दिनांक ६, ७, १४, १६, १७ व २४ की ६ बीघा यानि १२० हिस्सा में वादी सं० १ चन्द्रसिंह का १/३ हिस्सा यानि ४० हिस्सा, वादीया सं० २ भगवानी का १/१२ हि० यानि १० हिस्सा, वादी सं० ३ रामकुमार को प्रतिवादीया सं० ८ द्वारा तर्क १/२४ हि० प्राप्त होने पर कुल १/८ हि० यानि १५ हि०, वादीया सं० ४ सुमन का १/६० हि० यानि २ हि०, वादी सं० ५ अमित को प्रतिवादीया सं० ८ द्वारा तर्क १/२४ हिस्सा व प्रतिवादीया सं० ९ ता ११ द्वारा तर्क १/२० हिस्सा प्राप्त होने पर कुल १३/१२० हिस्सा यानि १३ हिस्सा, वादी सं० ६ राजकुमार का १/६ हिस्सा यानि २० हिस्सा और वादीगण सं० ७ ता १० का १/६ हिस्सा यानि २० हिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे और वाद भूमि दलु के हक हिस्सा की मु०नं० १६८ के किला नं० ९, १०, ११ व मु०नं० १६९ के किला नं० १५, २५ और मु०नं० १८६ के किला नं० ५ कुल ६ बीघा यानि १२० हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० १ भादरराम की १०० हिस्सा के स्थान पर ६० हिस्सा और प्रतिवादीगण सं० ३ ता ५ की ८७-१/२ हिस्सा के स्थान पर ५२-१/२ हिस्सा और प्रतिवादीया सं० २ की १२-१/२ हिस्सा के स्थान पर ७-१/२ हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

चूंकि : वादीगण के पूर्वज पूरण के वारिसान प्रतिवादीया सं० ६ व ७ ने उक्त भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० १ और भाई फुलाराम और नेकीराम के वारिसान के हम में तर्क कर दी है और इसी प्रकार प्रतिवादीया सं० ८ सावित्री ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० ३ रामकुमार और भतीजे वादी सं० ५ अमित के हक में तर्क कर दी है और प्रतिवादीया सं० ९ ता ११ क्रमशः किरण, रेखा रानी, प्रीती ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी सं० ५ अमित के हम में तर्क कर दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक १९.०६.२०१९ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़